

2020/00240  
 लय उप जिला कलक्टर टोडाभीम जिला करौली

10 नं०:- 74/2020

तारीखरजु:- 18-11-2020

उनवान:- चौथीलाल बनाम रामसिंह वगै०

प्रार्थना पत्र इन्द्राज धारा 212 आर.टी.एक्ट

नांक फर्द अहकाम

20 प्रार्थी की ओर से श्री सुनील कुमार जिन्दल एडवोकेट ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया। अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को तहसील क्षेत्र टोडाभीम को जरिए तहसीलदार एवं तहसील क्षेत्र टोडाभीम से बाहार के सम्मन जरिए वादी रजिस्टर्ड ए.डी. खर्चे पर जरिये सम्मन नोटिस तलब कर पत्रावली दिनांक 04.12.2020 को पेश हो।

5946-53  
 18.11.2020

(दुर्ग प्रसाद मीना)  
 उप जिला कलक्टर  
 टोडाभीम जिला करौली

4.12.20 प्रार्थी वकील उप०) अप्रार्थी नं. 1 का अदालत मीना से तलब अप्रार्थी नं. 2 से अदालत मीना की रिपोर्ट लिखा हुआ है जो कि उपस्थित नहीं है P.O. सा० चुनाव कार्य में व्यस्त है अह्दा दिनांक 15.12 को पेश हो/गए

Not-Press  
 ch

*[Handwritten signature]*

12.12.21 प्रार्थी एवं प्रार्थी वकील उपस्थित। पत्रावली तलब करने एवं पक्षकारान के मध्य बाजीनामा हो जाने से मुकदमा आगे चलाना नहीं चाहते ना प्रार्थना पत्र पेश किया। पत्रावली तलब की गई। वादी ने प्रार्थनापत्र अस्थाई निवेदाज्ञा Not-Press कर खारिज करने का कथन किया। प्रार्थी वकील ने पहचान कर मुकदमा खारिज करने का कथन किया। अतः प्रार्थनापत्र अस्थाई निवेदाज्ञा Not-Press में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमा टोका दावा पत्रावली के साथ संलग्न रहे।

Identify  
 Not-Press  
 2/12/21

*[Handwritten signature]*